



## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

### आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 14/2026/D-405

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 293134 दिनांक 17/04/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Kailash Chand Maheshwari S/o BRIJ MOHAN	श्री ब्रिज मोहन माहेश्वरी पुत्र श्री केशर लाल माहेश्वरी	9	83.69 SQ. METER	Private	GOVIND BAGH CRYSTAL	Name Transfer	आवेदक श्री कैलाश चन्द माहेश्वरी पुत्र श्री ब्रिज मोहन द्वारा निजी खातेदारी की योजना गोविन्द बाग क्रिस्टल के भूखण्ड संख्या 9 क्षेत्रफल 83.69 व.मी. का नाम हस्तान्तरण पत्र हेतु आवेदन किया है। जविप्रा क्रमांक डी 2396 दिनांक 21.03.2023 द्वारा उक्त भूखण्ड का पट्टा श्री ब्रिज मोहन माहेश्वरी पुत्र श्री केशर लाल माहेश्वरी के पक्ष में जारी है जिसे दिनांक 21.05.2023 को पंजीकृत करवाया गया है। तत्पश्चात श्री ब्रिज मोहन माहेश्वरी पुत्र श्री केशर लाल माहेश्वरी की दिनांक



## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

07.01.2024 को मृत्यु के कारण वारिसों श्रीमती नोरती देवी (पत्नी), श्री रामजीबाबू माहेश्वरी (पुत्र), श्रीमती कृष्ण परवल (पुत्री), श्रीमती तारा देवी (पुत्री), श्रीमती उषा भाला(पुत्री) द्वारा श्री कैलाश चंद (पुत्र) के पक्ष में दिनांक 21.11.2024 को पंजीकृत हक त्याग पत्र सम्पादित किया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर [jda.rajasthan.gov.in](http://jda.rajasthan.gov.in) पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Kailash Chand Maheshwari S/o BRIJ MOHAN को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |